.'न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
प्रा०पत्र सं० : 33 सन 2017
अनवान :–

1. सोमती पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट साकिन साकिन ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर

सायला

बनाम

1. भादर पुत्र राजू जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
2. श्योलाल पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
4. जगदीश पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
5. हनुमान पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
6. कृष्णराम पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
7. सहीराम पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर

गैर सायलान

प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अभिभाषक, प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 31/3/22

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने दिनांक 13.02.2013 को विरूद्ध गैर सायलान ने प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर०टी०एक्ट० के तहत प्रस्तुत किया जाकर रोही मौजा चक 5 बी बारानी के प०न० 336/394(55) किला न० 19 व 22 के पूर्वी साईड में दक्षिण से उत्तर एक एक गठठा रास्ता स्वीकार करने का प्रस्तात किया गया था।

सायलान के प्रार्थना पत्र पर गैरसायलान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 04.10.2013 को सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2013 के विरूद्व गैरसायल सहीराम वल्द रूपाराम ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील प्रस्तुत की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 29.05.2017 को निर्णीत की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.10. 2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की प्रकरण में मौका निरीक्षण एवं मौका रिपोट की कार्यवाही संपादित की जाकर समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 29.05.2017 के उपरान्त प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 08.09.2017 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को तलब किया गया सायला की ओर से श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता एवं गैरसायल संख्या 1 ,2 ,5 ता 7 की ओर से मदन मोहन जोशी अधिवत्ता उपरिथत आये प्रतिवादी संख्या 3 ,4 को तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई।

प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर परिस्थितयो निम्नप्रकार से है:–

सायला ने पूर्व में प्रार्थना पत्र में दर्ज गैरसायल संख्या 12 ता 16 के नाम दर्ज भूमि सायला को बैय की जा चुकी है जिसके सम्बध में सायला ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश जो स्वीकार होने पर पक्षकार बनाया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वर्तमान राजस्व रिकार्ड की स्थिति अनुसार रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 249/97 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चक चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 122/121 की कुल 3.1770हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 227/219 की कुल 3.2870हैक्ट भूमि में से गैरसायल संख्या 2 ता 7 सयुक्त खातें में दर्ज है प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रोही मौजा चक 5 बी बारानी के प0न0 336/394(55) के किला न0 19 व 22 के पूर्वी साईड में दक्षिण से उत्तर एक एक गठठा रास्ता स्वीकार करवाना चाहता है।

प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर आने पर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ,2 ,5 ता 7 के अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई एवं राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की

सायला गांव ढाणी मोधूवाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैर सायलान नं0 1 ता 7 के खेत प0नं0 336/394 (55) के कि0नं0 19 व 22 के पूर्वी साइड में दक्षिण से उतर चलकर अपने खेत के कि0नं0 12 में प्रवेश कर जाते है, यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है। सायला का हमेशा से ही उक्त रास्ता से ही आवागमन रहा है, इसके सिवाय अन्य कोई आवागमन का स्वीकृत रास्ता नहीं है, यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है। सायल द्वारा चाहा जा रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण गैर सायलान नं0 1 ता 7 आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है पूर्व में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2013 के द्वारा रास्ता स्वीकार किया गया जिसकी पालना में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे यथावत रखा जावे अर्थात पूर्व में पारित निर्णय को बहाल रखा जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

वकील गैरसायलान न0 1 ता 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए व्यक्त किया की सायल का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त कारण पर आधारित नही है । सायल के द्वारा जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह सही नही है क्योकि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल के खेत के टूकडे हो जाते है तथा काश्त करने में असुविधा होती है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नही किया की सायल कोनसी प0न0 किला0न0 से होता हुआ गैरसायल के खेत तक आता है तथा सायल का खेत गावं के किस तरफ है । सायल ने प्रार्थना पत्र गैरसायल को हैरान परेषान करने के लिये पेश किया है जो काबिल खारिज के है प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया सायला व गैरसायल न0 1 ता 7 एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है गैरसायलान का कथन है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता है परन्तु गैरसायाल न0 1 ता 7 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे सावित हो की सायला को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता हो।

सायला ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है की सायला किस प्रकार से गैरसायल की खातेदारी भूमि से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करती है । विधि का सिद्वान्त है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एव नजरी नक्शा के अनुसार सायला को स्वीकृत रास्ता से आगे खातेदारी भूमि में जाने के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2013 की पालना में राजस्व रिकार्ड में प्रश्तगत रास्ता दर्ज किया जा चुका है जो वर्तमान जमाबन्दी से साबित है तथा तहसीलदार नोहर की फर्द मौका के अनुसार न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता पूर्व में चालू भी किया गया था अर्थात रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद चालू होना भी प्रतीत होता है

अत : सायला का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो /तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 5 बी बारानी के प0न0 336/394(55) के किला न0 19/3 में 0.013हैक गैरमुमकिन रास्ता एवं 22/1 में 0.0120हैक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है को स्वीकृत/यथावत रखा जाता है अर्थात पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में दर्ज रास्ता को बहाल रखा जाता है इस रास्ता में अप्रार्थीगण की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायला गैरसायल न0 1 ता 7 को डीएलसी दर की दुगनी राशि दिये जाने के पूर्व आदेश को बहाल रखा जाता है यदि गैरसायलान के द्वारा पूर्व में निर्णय में तय की गई राशि प्राप्त नही हुई तो गैरसायला संख्या 1 ता 7 अपने हक हिस्सा के अनुसार सायला से राशि पाने के अधिकारी होगे इसी आश्य का आदेश जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 31/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक : राजस्व / 2022 / 381 दिनांक 31/03/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- प्रार्थना-पत्र सं0 33 सन 2017 निर्णय दिनांक 31/03/2022.

उनवान :-

1. सोमती पत्नी बलवन्तसिंह जाति जाट साकिन साकिन ढाणी गोधूवाली तहसील नोहर
सायला

बनाम

1 भादर पुत्र राजू जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
2. श्योलाल पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
4. जगदीश पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
5. हनुमान पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
6. कृष्णराम पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
7. सहीराम पुत्र रूपा जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
गैर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 उपनिवेषन अधिनियम के तहत नया रास्ता खोलना

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा 5 बी बारानी के प0न0 336/394(55) के किला न0 19/3 में 0.013हैक गैरमुमकिन रास्ता एवं 22/1 में 0.0120हैक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है को स्वीकत/यथावत रखा जाता है अर्थात पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में दर्ज रास्ता को बहाल रखा जाता है इस रास्ता में आप्रार्थीगण की जितनी भूमि आती है उसके बदले में सायला गैरसायल न0 1 ता 7 को डीएलसी दर की दुगनी राशि दिये जाने के पूर्व आदेश को बहाल रखा जाता है यदि गैरसायला के द्वारा पूर्व में निर्णय में तय की गई राशि प्राप्त नही हुई तो गैरसायला संख्या 1 ता 7 अपने हक हिस्सा के अनुसार सायला से राशि पाने के अधिकारी होगे तदानुसार कार्यवाही की जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner